शिक्षा का व्यापारीकरण
[Commercialisation of Education]

"आजादी के बाद सदियों से समाज के हाशिये पर पड़ी आम जनता, विशेषकर महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में शिक्षा की आकांक्षा और माँग बढ़ी थी और कम-से-कम उनके सामने यह सपना था कि अपनी प्रतिभा के दम पर वे भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण ने उनके इस सपने को चूर-चूर कर दिया और उच्च शिक्षा को नैतिक-अनैतिक कमाई से धनवान बने मुट्ठीभर लोगों के लिए इसी तरह आरक्षित कर दिया।"

—देश-विदेश : शिक्षा का असाध्य संकट

प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यन्त पवित्र और समाज सेवा का कार्य माना जाता था। समाज के धनाढ्य, दानी, परोपकारी और समाजसेवी व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते थे, स्थापित शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता करते थे, शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देते थे और अपनी चल-अचल सम्पत्ति को इस कार्य के लिए समर्पित कर देते थे। वर्तमान में भी कुछ लोग और संस्थाएँ इस पुनीत कार्य को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं—ऐसे लोगों और संस्थाओं की संख्या कम है, बहुत कम है। अब तो लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, धन्धा बना लिया है, लाभ प्राप्त करने का साधन बना लिया है। ये लोग समिति या ट्रस्ट बनाकर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते हैं और उनसे धन कमाते हैं। इसी को शिक्षा का व्यापारीकरण कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षा के व्यापारीकरण का अर्थ है—शिक्षा को व्यवसाय बनाना, उसकी व्यवस्था करना और उससे धनोपार्जन करना। न्यूपा (NIEPA) ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है—

"Commercialisation of education refers to a process of private ownership and management of educational institutional whereby investments are made with the motive of earning project."

राज्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—(1) सर्वाधिकारवादी राज्य और (2) प्रजातंत्रीय राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण होता है और विद्यालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ध्यान न देकर केवल राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं जबकि प्रजातन्त्रीय राज्य में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे व्यक्ति की वैयक्तिकता बनी रहे और उसे विकास के अधिकाधिक अवसर मिलें। भारत एक प्रजातंत्रीय राज्य है, अतः यहाँ शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण नहीं है। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सहअस्तित्व की आवश्यकता है। शिक्षा का प्रकाश जन-जन तक पहुँचे, इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार और जनता मिलकर इस महान उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों में इसका प्रावधान किया गया है। शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(1) आर्थिक कारण—भारत एक गरीब देश है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सके। देश

Scanned by TapScanner

के कोने-कोने में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, उनके लिए भवनों का निर्माण करना और उनको सुसज्जित करना व सभी सुविधाओं से सम्पन्न करना केवल सरकार के वश की बात नहीं है।

(2) शिक्षकों से सम्बन्धित कारण—सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सभी प्रकार के विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों को नियुक्त कर सके। वर्तमान में ऐसे-ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ शिक्षक ही नहीं हैं या एक शिक्षक है या दो शिक्षक हैं। देश में लाखों शिक्षकों की आवश्यकता है, जिनको नियुक्त करना और वेतन देना सरकार के बूते की बात नहीं है।

(3) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कारण—सामान्यतः सरकारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार न तो बिल्डिंग होती है, न शैक्षिक उपकरण होते हैं, न सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, उत्तम पुस्तकालय, वाचनालय, कार्यशालाएँ आदि होती हैं और न ही श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं जबकि निजी शिक्षा संस्थाएँ सभी संसाधनों से पूर्ण होती हैं। जब सरकार आवश्यक शिक्षकों को ही नियुक्त नहीं कर पाती तब संसाधनों की व्यवस्था करना तो असम्भव ही दिखाई देता है।

(4) भ्रष्टाचार के कारण—आज शिक्षा का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, आवश्यक सामान और उपकरणों की खरीद का मामला हो, भवन निर्माण का मामला हो, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा संस्थाओं को मिलने वाली मान्यता का मामला हो या विद्यालय व्यवस्था से सम्बन्धित कोई अन्य मामला हो—कहीं भी ईमानदारी नहीं है। सब ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी संस्थाओं में यह एक ऐसी बुराई है, जिसका समाधान सहज नहीं है। यह तो व्यवस्था परिवर्तन से ही सम्भव है जो आसान नहीं है।

शिक्षा के व्यापारीकरण के परिणाम
(Results of Commercialisation of Education)

(1) निजी शिक्षा संस्थाओं की फीस बहुत अधिक है, जिसके कारण शिक्षा अति महंगी होती जा रही है। गरीबों की बात तो छोड़ें, मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी अपने बालकों को इन विद्यालयों में शिक्षा नहीं दिला पाते।

(2) उदारतापूर्वक मान्यता दिए जाने से इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो रही है। घरों में, दुकानों में, धर्मशालाओं में और ऐसे ही छोटे-छोटे स्थानों में प्राईमरी स्कूल खुल रहे हैं, जहाँ व्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जा सकती।

(3) निजी संस्थाओं को स्थापित करने वाली संस्थाओं के संविधान में भले ही उच्च आदर्श हों, अच्छे उद्देश्य हों, लेकिन संस्थाओं के प्रबन्धकों और मालिकों का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही होता है।

(4) प्राथमिक विद्यालयों में तो फीस के अतिरिक्त हर माह बालकों से कुछ-न-कुछ किसी-न-किसी कार्य के लिए धन वसूल किया जाता है।

(5) निजी विद्यालयों में पुस्तकें, बस्ता, यूनीफॉर्म आदि छात्रों को स्कूल से ही अनिवार्य रूप से दिया जाता है और उसमें अच्छा-खासा कमीशन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार छात्रों का आर्थिक शोषण किया जाता है।

(6) योग्य शिक्षकों को वेतनमान के अनुसार पूरा वेतन नहीं दिया जाता। प्राइमरी विद्यालयों में हजार-पन्द्रह सौ, दो हजार रुपये, माध्यमिक विद्यालयों में चार-पाँच हजार रुपये और महाविद्यालयों में आठ-दस हजार रुपये मासिक वेतन पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे शिक्षक हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते।

Scanned by TapScanner

(7) इन संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव रहता है।

(8) निजी संस्थाएँ सभी नियमों, उपनियमों, शर्तों और मानदण्डों की अनदेखी करके व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में संलग्न रहती हैं।

(9) इन संस्थाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण का कार्य कई सरकारी विभागों पर होता है। सामान्यतः इन विभागों से सम्बन्धित कर्मचारी और अधिकारी बिना चढ़ावे के कोई कार्य पूरा नहीं करते, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा के व्यापारीकरण का सकारात्मक पक्ष
(Positive Aspect of Commercialisation of Education)

(1) निजी विद्यालय आसानी से उपलब्ध एवं पहुँच में हैं।

(2) निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

(3) निजी विद्यालय बच्चों के अभिभावकों के प्रति अधिक जबावदेह होते हैं।

(4) निजी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

(5) निजी विद्यालय बच्चों को उच्च शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं।

शिक्षा के व्यापारीकरण का नकारात्मक पक्ष
(Negative Aspect of Commercialisation of Education)

(1) निजी विद्यालय कैपीटेशन फीस वसूल करते हैं।

(2) निजी विद्यालयों में छात्रों से आये दिन किसी-न-किसी बात पर फीस वसूल की जाती है।

(3) आर्थिक दृष्टि से गरीबों की बात तो बहुत दूर है, निजी विद्यालय मध्यम वर्ग के लोगों की पहुँच से भी बाहर हैं।

(4) निजी विद्यालयों में बालकों का शोषण किया जाता है।

(5) निजी विद्यालयों में शिक्षकों का भी शोषण किया जाता है।

(6) निजी विद्यालयों में बाहरी दिखावट, प्रचार और शोशेबाजी अधिक है।

(7) निजी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही है।

शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियन्त्रण
(Control on Commercialisation of Education)

सच तो यह है कि सम्पूर्ण देश में सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रों की व्यवस्था करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना सरकार के लिए सम्भव नहीं है, इसलिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ही इस उत्तरदायित्व को पूरा करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी संस्थाएँ निष्ठा, ईमानदारी और सेवा की भावना से परिपूर्ण होकर कार्य करें। शिक्षा में आज विद्यमान व्यापारीकरण की इस प्रवृत्ति को नियन्त्रित और समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—

(1) विद्यालयों के मान्यता सम्बन्धी नियमों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। कमी होने पर विद्यालय की मान्यता रद्द की जानी चाहिए और मान्यता देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

(2) इन विद्यालयों में मासिक, अर्द्ध-वार्षिक और वार्षिक शुल्क का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अधिक फीस लेने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए।

(3) इन विद्यालयों में फीस के अतिरिक्त कोई अन्य फीस नहीं ली जानी चाहिए। यूनीफॉर्म छात्रों को स्वयं बनवाने का और पुस्तकें स्वयं खरीदने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में रखी जानी चाहिये।

Scanned by TapScanner

(4) योग्य, प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए और उनको सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिए जाने चाहिए।

(5) छात्रों और शिक्षकों का शोषण नहीं होना चाहिए।

(6) विद्यालयों और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

Scanned by TapScanner